न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 13 /प्रा0पत्र/20

सरकार बनाम गोकुलसिंह

अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्र0सूचना रिपोर्ट संख्या 32/2020 थाना भवानीमण्डी

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 451 जा0फो0 बाबत सुपुर्दगी दिये जाने ट्रेक्टर मय ट्राली रजि0 RJ 17 RA 7105, RJ 17 EA 1084

11/3/20 प्रा0पत्र जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रा0पत्र में अकंन किया गया है कि पुलिस थाना भवानीमण्डी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2020 को प्रार्थी का ट्रेक्टर मय ट्राली रजि0 RJ 17 RA 7105, RJ 17 EA 1084 को जब्त कर रखी है। जिसकी थाना भवानीमण्डी को कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी सुपुदर्गीद्वार उक्त ट्रेक्टर मय ट्राली का रजिस्टर्ड स्वामी है उक्त ट्रेक्टर मय ट्राली के अधिक समय तक खडे रहने से खराब हो जाने व आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रार्थी उक्त ट्रेक्टर मय ट्राली बतोर किराये से चला रहा था जबकि उसमें किसी भी प्रकार का सरकारी या अवैध गेहुं का परिवहन नही किया जा रहा था,मात्र सदिंग्धता के आधार पर प्रार्थी का उक्त ट्रेक्टर मय ट्राली जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुदर्गीदार मोतबर जमानतनामा सुपुदर्गीनामा पेश करने को तैयार है । प्रकरण में जप्त ट्रेक्टर मय ट्राली को सुपुर्दगी में दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 451 Crpc के तहत वाहन ट्रेक्टर मय ट्राली रजि0 RJ 17 RA 7105, RJ 17 EA 1084 की सुपुर्दगी बाबत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वाहन 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना भवानीमण्डी में दर्ज प्राथमिकी 32/2020 के परिणाम स्वरूप जब्त है। उक्तानुसार प्रकरण न्यायालय हाजा में पेण्डिंग नही है व जिस विशेष माननीय अदालत के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है उक्त माननीय न्यायालय को जप्तशुदा वाहन की अनुंसधान में आवश्यकता होने से इन्कार नही किया जा सकता (विद्वान मजिस्ट्रेट जो कि विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम भी हैं)। धारा 451 Crpc Disposal of property pending trial cases में क्रिमिनल कोर्ट को ही अधिकार हैं। उपरोक्त विवेचन से इस प्रा0पत्र के माध्यम से प्रार्थी को किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता अतः प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। प्रा0पत्र बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
झालावाड़